| आदेश | कार्यवाही विवरण |
|---|---|
| 25/3/22 | पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं वकील वादी को बार-बार रवाना कर आवाज लगवाई गई, परन्तु इनकी ओर से कोई भी उपस्थित नही होने से वाद वादी अदम पैरवी व अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। |

ए. सी. ई. एम. (क्ला. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:19 IST
Reason: SelfAttested